

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र/प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
110/23	188 RTA	खेरखेडाभूरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सोमा	बनाम	हरिसिंह	
वकील :-	भेंवर सिंह जादोन	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		
19.12.23	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक ...1..2..2024... को पेश हो।		
23.1.24	पत्रावली छिपत्र की गइ रिपोर्ट पर आज पत्र उरि वकील की उमर जरे की जय की तलब से तलबना पेश करे पत्रावली वास्ते तलब दिनांक 27.2.24 को पेश हो		
27.2.24	आपत पीन्यासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक ...3.4.24 .. को पेश हो।		
3.4.24	आपत पीन्यासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिश्ति में दिनांक ...22.5.24.. को पेश हो।		
22.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। प्रतिवादीगण ने वाड लागील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी लुठ 1 वावजूद लुपना के न्यायालय में उप-वही। इन्हे विरुद्ध लुठ पत्रावली आर्पनाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 10.7.24 को पेश हो।		
10.7.24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। साक्ष्यवादी उपर न ही। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी 27.8.24 को पेश हो।		

24 पत्रावली पेश हुई। नकील वादी उपर। साक्ष्यवादी उपर  
 नहीं है। पूर्व के साक्ष्यवादी हेतु कई क्वेश्चर डिप्रे  
 जाने से कावतुस साक्ष्यवादी उपर नहीं हुए हैं।  
 साक्ष्यवादी बन्द डिप्रे जाते हैं। पत्रावली वाले एहन  
 दिनांक 17.12.24 को पेश हो।

17-12-24 पत्रावली पेश हुई। नकील वादी उपर। नकील वादी प्रकरण  
 को हाजे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण के कोई कार्रवाई  
 नहीं चाहते हैं। Not press चलाना चाहते हैं। प्रकरण  
 Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फेशल शुमार डोकुमैंट डाकिल इस्तर है।

Not Press  
 [Signature]